न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 04/2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
फरियाद अली पुत्र जमाल अली जाति सिपाही मुसलमान निवासी कुशलापुरा तहसील भीनमाल		1 मुनीर मोहम्मद पुत्र जमाल अली 2 भवरूदीन पुत्र अब्दुल रहमान 3 सजाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान 4 रफीक मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान 5 चांदबानू बेचा अब्दुल रहमान 6 शमशेर अली पुत्र शफी मोहम्मद 7 युसूफअली पुत्र शफी मोहम्मद 8 सीराज मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद 9 हमीदा बेवा शफी मोहम्मद 10 अमीन मोहम्मद पुत्र जमालअली निवासीगण कुशलापुरा तहसील भीनमाल जिला जालोर 11 तहसीलदार भूमिधारक भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री फरमान अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.12.17

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2010 मुनीर मोहम्मद बनाम भंवरूदीन वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2011 व 30.06.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट मुनीर मोहम्मद ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,

188, 53 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि में खातेदारी अधिकार एवं विभाजन सहित प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.03.2011 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा उसके पश्चात तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.06.2011 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

नियत तारीख पेशी पर उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादस्थ खसरा नम्बर की आराजी के विभाजन की डिक्री को निरस्त कराने एवं तमाम खातेदारान के खातेदारी हक के अनुसार समान विभाजन हेतु प्रकरण रिमाण्ड कराने हेतु सहमति व्यक्त की, साथ ही यह भी कथन किया कि पुराने खसरा नम्बर 544, 544/1 व 545 की जमाबन्दी में सेवन से हमारे परिवार के सदस्य अजीज मोहम्मद का नाम गलत लिखा हुआ था एवं वे फौत हो चुके है तथा वास्तविक खातेदार मुनीर खां है, जिसका नये रेकर्ड में नाम दर्ज है, उसे यथावत रखते हुए उनके नाम की आराजी का विभाजन उनके हक में करने हेतु सहमति व्यक्त की। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी लोक अदालत की भावना से होने वाले निर्णयों से ही पक्षकारान में सामन्जस्य होगा तथा वाद बाहुल्यता कम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 15 नियम 1 तथा आदेश 23 नियम 3 के तहत हस्तगत प्रकरण के निस्तारण में किसी प्रकार की विधिक बाधा नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2010 मुनीर मोहम्मद बनाम भंवरूदीन वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2011 व 30.06.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजीनामा में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राजस्थान)